न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1374

1. रविन्द्र कुमार पुत्र मनफूल खिचड जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 05, खातियों की ढाणी, पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
2. रामजीलाल पुत्र महेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी खातियोन की ढाणी, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
3. सुभाष पुत्र महेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी ढाणी पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
4. प्यारेलाल पुत्र शिशपाल, जाति जाट, निवासी ढाणी पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
5. शांति देवी पत्नि मामराज जाति जाट, निवासी ढाणी पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
6. भगवती देवी पत्नि वीरेन्दर सिंह जाति जाट, निवासी संगासी जिला झुन्झुनूं।
7. सुनीता कुमारी पत्नि महेश कुमार, जांति जाट, निवासी भूतियावास, बिन्दासर, जिला झुन्झुनूं।
8. सुमन देवी पत्नि मनफूल निवासी वार्ड नं0 05 पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) ढाणी पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
2. उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं।
3. पटवारी हल्का पाटोदा, ढाणी पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।
4. ओमप्रकाश पुत्र नोरंगराम, जाति खाती, निवासी ढाणी पाटोदा, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं ने निर्णय दिनांक 02.05.2025 प्रकरण संख्या 20/2025, उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा बनाम मदन वगै0 में आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री ऋतुराज सोनी, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगा0 3 की ओर से।
3. श्री राजकुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–30.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 02.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 13.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बिसाऊ द्वारा दिनांक 25.02.2025 को ग्राम ढाणी पाटोदा में भूमि के आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 में पुराने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बावत् प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार बिसाऊ के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.02.2025 को स्वीकार किया जाकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया गया कि तहसील बिसाऊ के पटवार मण्डल पाटोदा के ग्राम ढाणी पाटोदा के आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जावें। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तथा उक्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत्त खातेदारों के ही नाम रहेगी। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 02.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट रविन्द्र कुमार पुत्र राजस्थान सरकार द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं दिनांक 02.05.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 02.05.2025 विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 आराजी खसरा नम्बर 650 रकबा 7.00 हैक्टर के खातेदार है जिसमें से प्रस्तावित रस्ते का कुल 0.02 हैक्टर भूमि को कच्चा रास्ता दर्शाया गया है। अपीलान्ट संख्या 3 व 4 आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.28 है० के खातेदारान् है जिसमें से प्रस्तावित रस्ते का कुल 0.03 हैक्टर भूमि को कच्चा रास्ता दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 662, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 के मध्य में जो रास्ता बताया गया है मौके पर कोई रास्ता न कभी था न है तथाकथित रिपोर्ट सरासर गलत आधारहीन व मौके की स्थिति के विपरीत है यही नहीं जो मौका पर्चा दिनांक 22.09.2023 तहसीलदार जी की आज्ञा दिनांक 27.09.2023 को बनाई गई है वह सरासर मौके के विपरीत बिना अपीलान्टान् को नोटिस दिये केवल मात्र आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 651, 665 के सहखातेदार के ही हस्ताक्षर है जबकि खसरा नम्बर 650, 661, 671, 674 के किसी भी खातेदार द्वारा रस्ते की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत् कोई सहमती प्रदान नही की गयी एवं अन्य सहखातेदार भी है कहीं भी अन्य सहखातेदार उपस्थित ही नहीं है जिनके आधार पर जिस प्रकार रिपोर्ट तैयार की है कहीं भी मौका रिपोर्ट में कहीं भी लम्बाई चौड़ाई नहीं बताई गई है एवं यह रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई यही नहीं पत्रावली में जो मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है उक्त फोटो मौके की नहीं बल्कि किसी अन्य स्थान की पटवारी हल्का द्वारा लगाई गई है। ऐसी स्थिति में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय हैं।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है श्रीमान उपखण्ड अधिकारी मण्डावा ने तहसीलदार बिसाऊ को अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 के जरिये श्री ओमप्रकाश जांगिड द्वारा परिवाद पेश होना एवं उक्त के सम्बन्ध में जाँच कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करने का आदेश किया उक्त पर तहसीलदार ने दिनाक 27.09.2023 को पटवारी हल्का को उक्त के सम्बन्ध में जाँच कर रिपोर्ट व रस्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया जबकि पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट एवं नक्शा दिनाक 22.09.2023 को ही तैयार कर लिया गया ये कैसे संभव हैं। इससे स्पष्ट है कि मौका पर्चा रिपोर्ट सरासर संदिग्ध है, सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमियों के सम्पूर्ण खातेदारों को कोई नोटिस नहीं दिया एवं जिन्हें दिया गया है उनकी स्थिति नकल प्राप्त करने पर निम्न प्रकार जानकारी में आया की जिन खातेदारों को नोटिस जारी किये गये परन्तु उनका स्वर्गवास पूर्व में हो चुका हैं। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मस्तिक का उपयोग किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। शिशपाल पुत्र नाथाराम के नोटिस जारी किये गये परन्तु उनकां स्वर्गवास दिनांक 13.12.2024 को हो चुका है लेकिन उक्त रिपोर्ट पर कहीं भी उनकी स्वंर्गवास हो जाने की रिपोर्ट नही हैं। अतः उनकी सहमति से कोई आदेश प्रसारित नहीं हो सकता व कहीं भी मकान पर चस्पा किया ही नहीं। झिमकोरी देवी का स्वर्गवास दिनांक 03.12.2023 को हो चुका हैं। जिसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नही हैं। अतः उनकी सहमति से कोई आदेश प्रसारित नहीं हो सकता व कहीं भी मकान पर चस्पा किया ही नहीं। शिशपाल व झिमकोरी देवी के लिए जो नोटिस जारी किये गये वो विधि के अनुसार पोषणीय नही हैं। मृतक के विरुद्ध कोई भी आदेश पारित नही किया जा सकता, इसलिये विपक्षीगण द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कानून का दुरुपयोग करते हुई व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया हैं जो खारिज होने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी सं. 4 ओमप्रकाश के द्वारा प्रार्थना पत्र में रस्ते की आवश्कता के सम्बन्ध में कोई कथन नही हैं। ना ही कोई कारण दर्शित किया गया हैं। सम्पूर्ण दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रतीत होता हैं की सरपंच व हल्का पटवारी ने बिना आदेश के रिपोर्ट बनाई व बैक डेट में ओमप्रकाश से प्रार्थना पत्र लेने का प्रयास किया हैं। पत्रावली में डेट्स की काट–छाट हो रखी हैं। जो विधिक दृष्टि में स्वीकार नही हैं। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2023 को सर्व सहमती से रस्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु निर्णय लिया गया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी ओमप्रकाश पुत्र नोरंगराम जाति खाती द्वारा ही पेश किया गया है एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 पर ओमप्रकाश पुत्र नोरंगराम के हस्ताक्षर या उपस्थिति दर्ज नही है एवं अधिकतर अन्य लोगों के हस्ताक्षर बतोर गवाह प्रतीत होते है इससे स्पष्ट है कि मौका पर्चा रिपोर्ट सरासर संदिग्ध है व जांच आवश्यकीय हैं। मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है केवल काबिज़ खातेदार ही आने जाने में उपयोग में लेते है वो भी उस परिस्थितियों में जब फसल नही हो रही हो। श्रीमान् जी उक्त भूमि के सम्बन्ध में जिस प्रकार रास्ता बताया है। उसके सम्बन्ध में स्वयं उपखण्ड अधिकारी से रिपोर्ट तलब किया जाना भी आवश्यकीय हैं या फिर किसी को भी कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वास्तविक स्थिति मंगवाया जाना आवश्यक है जिससे श्रीमान् जी के समक्ष वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने पटवार घर पर बैठे–बैठे ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जब कि गिरदावर, पटवारी या तहसीलदार जी मौके पर गये ही नहीं न मौके का कोई नोटिस ही दिया गया है ऐसी स्थिति में भी निर्णय निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 02.05.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं दिनांक 02.05.2025 उनवानी राजस्थान सरकार तहसीलदार बिसाऊ बनाम मदन वगै0 को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगा0 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि तहसीलदार बिसाऊ द्वारा दिनांक 25.02.2025 को ग्राम ढाणी पाटोदा में भूमि के आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 में पुराने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार बिसाऊ के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.02.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया गया कि तहसील बिसाऊ के पटवार मण्डल पाटोदा के ग्राम ढाणी पाटोदा के आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जावें। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तथा उक्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत्त खातेदारों के ही नाम रहेगी। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किये गये, जो सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार बिसाऊ द्वारा दिनांक 25.02.2025 को ग्राम ढाणी पाटोदा में भूमि के आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 में पुराने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया गया कि भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों एवं प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव व नक्सा ट्रेस के अनुसार तहसील बिसाऊ के पटवार मण्डल पाटोदा के ग्राम ढाणी पाटोदा के आराजी खसरा नम्बर 622, 624, 650, 651, 665, 661, 671, 674 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जावें। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तथा उक्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत्त खातेदारों के ही नाम रहेगी। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 पारित किये गये, जो सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल अपीलान्ट संख्या 01 लगा0 3 को सुना गया। प्रचलित रास्ते को कटानी दर्ज किये जाने के बाबत् ऐसा कोई तथ्य या आक्षेप पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि उक्त प्रचलित रास्ते के दोयम में अन्य कोई रास्ता लगता हो। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर